



परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

(परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय, भारत सरकार)

वेस्टर्न सेक्टर, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094

ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

(An Autonomous Body under Department of Atomic energy, Govt. of India)

Western Sector, Anushaktinagar, Mumbai-400094

शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए प्री-प्रेप से XII तक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेश परिपत्र **Admission circular for Classes Pre-Prep to XII for the Academic Session 2018-19**

इस परिपत्र में परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्ण नियंत्रणाधीन घटक यूनिटों, परियोजनाओं, सहायता प्राप्त संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों के परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों/ कनिष्ठ महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए प्री-प्रेप से XII तक कक्षाओं में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश हैं। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था ने मुंबई केंद्र पर स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों/ कनिष्ठ महाविद्यालय में प्रवेश के लिए **ऑनलाइन प्रवेश सुविधा** भी शुरू की है और मुंबई केंद्र पर प.ऊ.वि. के बच्चों (डी.ए.ई. वार्ड) के प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से स्वीकार व प्रक्रियापूर्ण किए जायेंगे।

This circular contains the guidelines for admission to classes from Pre-Prep to XII for the Academic Session 2018-19 in the Atomic Energy Central Schools/Junior Colleges for the wards of employees of the constituent units, projects, Aided Institutions, Public Sector Undertakings under full control of Department of Atomic Energy (DAE) AEES is also introducing **Online Admissions facility** for admissions in AEC schools/JCs located in Mumbai center and only through online admission portal the application form for admission will be accepted and processed for DAE wards at Mumbai..

प.ऊ.वि. के बच्चों (डी.ए.ई. वार्ड) हेतु **FOR DAE WARDS**

सभी डी.ए.ई. वार्ड के लिए कक्षा-I में नया प्रवेश लेना अनिवार्य है, चाहे वे परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के विद्यालयों की प्री-प्रेप या प्रेप कक्षाओं में पढ़ रहे हैं या नहीं।

Fresh admission in class I is mandatory for all the DAE wards, irrespective of whether they were studying in pre-preparatory or preparatory classes of schools of AEES or not.

1. पात्रता Eligibility

- (i) प.ऊ.वि. सचिवालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के पूर्ण नियंत्रणाधीन घटक यूनिटों, परियोजनाओं, सहायता प्राप्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चे परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों एवं कनिष्ठ महाविद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु पात्र हैं। ऐसे सभी बच्चों को प.ऊ.वि. बच्चे (डी.ए.ई. वार्ड) माना जायेगा।

Children of employees of the DAE secretariat, Constituent Units, Projects, Aided Institutes and Public Sector Undertakings under full control of Department of Atomic Energy (DAE) are eligible for admission in Atomic Energy Central Schools and Junior Colleges. All such children will be considered as DAE wards.

- (ii) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मचारियों के बच्चे और अन्य जिनके लिए प.ऊ.शि.सं./प.ऊ.वि. का विशिष्ट अनुमोदन अस्तित्व में होगा, को प्रवेश प.ऊ.वि. बच्चों के समान तब तक विचारणीय होगा जब तक कि संबंधित कर्मचारी प.ऊ.वि. की यूनिटों में कार्यरत रहते हैं। प.ऊ.वि. या इसकी घटक यूनिटों से कर्मचारियों के छोड़ जाने पर यह रियायत बंद हो जायेगी।

The admission to the wards of CISF employees and others for whom specific approval of AEES/DAE exists would be considered at par with DAE wards as long as the concerned employee continues to work in DAE units. This concession ceases once the employee leaves DAE or its Constituent Units.

- (iii) ऐसे प.ऊ.वि. कर्मचारी जो अधिवर्षिता प्राप्त हैं या सेवा काल में मृत हो गए हैं या सेवा काल में अविधिमान्य हो गए हैं, के बच्चों को प्रवेश के लिए प.ऊ.वि. बच्चों के समान माना जायेगा।

Children of DAE employees who have superannuated or have expired while in service or who have become invalidated while in service will be treated at par with DAE wards for admission.

- (iv) परमाणु ऊर्जा विभाग की परमाणु संपर्क यूनिटों में कार्यरत खुफिया ब्यूरो कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश प.ऊ.वि. बच्चों के समान तब तक माना जायेगा जब तक खुफिया ब्यूरो कर्मचारी परमाणु ऊर्जा विभाग की परमाणु संपर्क यूनिटों में कार्यरत रहते हैं। खुफिया ब्यूरो कर्मचारी के प.ऊ.वि. के छोड़ जाने पर यह रियायत बंद हो जायेगी।

The admission to the wards of Intelligence Bureau employees working in Atomic liaison units in DAE would be treated at par with DAE ward as long as the IB employee continues to work in Atomic liaison units in DAE. This concession ceases once the IB employee leaves DAE.

2. आयु Age

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए 31 मार्च, 2018 को न्यूनतम और अधिकतम आयु पात्रता निम्नवत् है:
The **eligible minimum and maximum age as on 31st March, 2018** for admission in various classes is as follows:

कक्षा Class	जिस वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया गया है उस वर्ष 31 मार्च को न्यूनतम आयु Minimum age on 31st March of the year in which admission is sought	जिस वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया गया है उस वर्ष 31 मार्च को अधिकतम आयु Maximum age on 31st March of the year in which admission is sought
प्री-प्रेप Pre-Prep	3 वर्ष Years	5 वर्ष Years
प्रेप Prep	4 वर्ष Years	6 वर्ष Years
I	5 वर्ष Years	7 वर्ष Years
II	6 वर्ष Years	8 वर्ष Years
III	7 वर्ष Years	9 वर्ष Years
IV	8 वर्ष Years	10 वर्ष Years
V	9 वर्ष Years	11 वर्ष Years
VI	10 वर्ष Years	12 वर्ष Years
VII	11 वर्ष Years	13 वर्ष Years
VIII	12 वर्ष Years	14 वर्ष Years
IX	13 वर्ष Years	15 वर्ष Years
X	14 वर्ष Years	16 वर्ष Years

3. प्रवेश प्रपत्र (एडमिशन फॉर्म) Admission Form

<p>बाहरी केंद्रों के विद्यालयों के लिए लागू Applicable to Outstation Schools</p>	<p>प्रवेश प्रपत्र परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत् भरे आवेदन फॉर्म रु. 50/- राशि के आवेदन शुल्क के साथ प्रवेश के लिए आवासीय क्षेत्र (रेजीडेन्शियल ज्यूरिसडिक्शन) के अनुसार परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय/ कनिष्ठ महाविद्यालय में जमा किए जाने चाहिए।</p> <p>Admission Form can be downloaded from AEES website. The duly filled in form along with an application fee of Rs 50/- should be submitted to the AEC School/Jr. College <u>as per the residential jurisdiction</u> for grant of admission.</p> <p style="text-align: center;">अथवा OR</p> <p>आवेदन शुल्क रु. 50/- का भुगतान कर प्रवेश प्रपत्र किसी भी परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय के कार्यालय से भी खरीदा जा सकता है। हालांकि, विधिवत् रूप से भरे आवेदन पत्र प्रवेश के लिए आवासीय क्षेत्र (रेजीडेन्शियल ज्यूरिसडिक्शन) के अनुसार परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय/ कनिष्ठ महाविद्यालय में जमा किए जाने चाहिए।</p> <p>Admission Form can also be procured from the office of any AEC School/ Jr. College by paying an application Fee of Rs. 50/-. However, the duly filled in form has to be submitted to the AEC School/Jr. College as per the residential jurisdiction for grant of admission.</p> <p style="text-align: center;">अथवा OR</p>
<p>केवल मुंबई स्थित प.ऊ.के. विद्यालयों/ कनिष्ठ महाविद्यालय के लिए लागू Applicable to AEC Schools/ JC of Mumbai only</p>	<p>मुंबई केंद्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित तिथियों के दौरान केवल परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रत्येक आवेदक को बिल्डिंग (जहाँ वे रहते हैं) का नाम* चुनना होगा और क्षेत्र के अनुसार स्वतः विद्यालय का चयन हो जायेगा। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, माता-पिता, पता, भाई-बहन और संपर्क ब्योरा भरना और जमा करना होगा। प्रपत्र (फॉर्म) के सफलतापूर्वक जमा हो जाने पर सिस्टम जनित एक ई-मेल माता-पिता के ई-मेल आईडी पर भेजी जायेगी जिसमें अस्थायी छात्र आईडी होगी। इसके बाद आवेदक को छात्र आईडी का प्रयोग करते हुए 'एसबी कलेक्ट' [डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीज़ा/रुपये) या नेट बैंकिंग] के माध्यम से विद्यालय शुल्क का भुगतान करना होगा और एडमिशन पोर्टल पर भुगतान रसीद के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था द्वारा परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय-4, मुंबई और परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय-3, मुंबई के परिसरों में 08.01.2018 से 27.01.2018 तक दो सहायता केंद्रों की सुविधा प्रदान की जायेगी। शुल्क भुगतान के समय रु. 50/- राशि का आवेदन शुल्क लिया जायेगा।</p> <p>*अणुशक्तिनगर कालोनी से बाहर रहने वाले आवेदकों के लिए प्रवेश अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंधन समिति, मुंबई द्वारा आबंटित किए जायेंगे।</p> <p>The admission process for Mumbai center will be done through online admission portal. Interested candidates are required to apply through the AEES admission portal during the stipulated dates only. Each applicant has to select the Building name*(where they are residing) and the school will be automatically selected according to the jurisdiction. Afterwards, personal details, parent's details, address details, sibling details and contact details have to be filled and submitted. After the successful submission of the form a system generated email will be sent to the email ID of the parent which will also contain the temporary student ID. Afterwards, the applicant have to pay the School fee through 'SBcollect' [debit/credit card (Master/Visa/Rupay) and Net banking] using the Student ID and upload the required documents alongwith the Payment receipt in the admission portal. Two dedicated helpdesk will be provided by AEES in the premises of AECS-4, Mumbai and AECS-3, Mumbai during 08-01-2018 to 27-01-2018. An application fee of Rs 50/- will be charged at the time of Fee payment.</p> <p><i>*For the candidates residing outside Anushaktinagar colony, the admission will be allotted by the Chairman, LMC of Mumbai.</i></p>

4. शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए प्रवेश कार्यक्रम Admission Schedule for the academic year(2018-19):

ए/द. मुंबई से बाहर स्थित केंद्रों के प.ऊ.कें.विद्यालयों/ क. महाविद्यालयों हेतु For the schools/JCs located in centers other than Mumbai

क्र.सं. Sl. No.	कार्यक्रम Schedule	तारीख Date	समय Time
01	प्री-प्रेप से कक्षा-X तक के लिए प्रवेश फॉर्म का वितरण Distribution of Admission Form from class Pre-Prep to class X	08-01-2018 to 13-01-2018	9 am to 1 pm
02	सभी पुष्टिकारक दस्तावेजों सहित विधिवत् भरे प्रवेश फॉर्म जमा Submission of the duly filled in Admission forms with all supporting documents	15-01-2018 to 19-01-2018	9 am to 1 pm
03	प्री-प्रेप से कक्षा-X तक के लिए प्रवेश हेतु पात्र और अर्ह पाये गए छात्रों की सूची का प्रदर्शन Display of the list of students found eligible and qualified for admission to Class Pre-Prep to Class X	29-01-2018	2.00 pm
04	प्री-प्रेप से कक्षा-X तक के लिए प.ऊ.वि. बच्चों का प्रवेश Admission of DAE wards from Class Pre-Prep to class X	01-02-2018 to 08-02-2018	9 am to 1 pm
05	कक्षा- XI व XII में प्रवेश बोर्ड परीक्षा परिणामों के बाद किया जायेगा। Admission to class XI and XII will be taken up after the board results	---	---

बी/द. मुंबई केंद्र पर स्थित प.ऊ.कें.विद्यालयों/ क. महाविद्यालय हेतु For the schools/JCs located in Mumbai center

क्र.सं. Sl. No.	कार्यक्रम Schedule	तारीख Date	समय Time
01	आवेदकों का पंजीकरण ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल 2018-19 के माध्यम से (प्री-प्रेप से कक्षा-X तक के लिए) Registration of candidates through Online Admission Portal 2018-19 (for class Pre-Prep to class X)	08-01-2018 to 13-01-2018	The timing for registration will start from 12:00 midnight of the commencement day and will end on 11:59pm of the due date
02	शुल्क भुगतान के लिए पात्र आवेदकों के अस्थायी विशिष्ट आईडी का प्रदर्शन Display of Temporary Unique IDs of eligible candidates for Fee payment	16-01-2018	
03	पात्र आवेदकों के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान Payment of Online fee for the eligible candidates	18-01-2018 to 22-01-2018	
04	सभी पुष्टिकारक दस्तावेजों और भुगतान रसीद की अपलोडिंग Uploading of all supporting documents and Payment receipt	23-01-2018 to 27-01-2018	
05	प्री-प्रेप से कक्षा- X तक प.ऊ.वि. बच्चों का प्रवेश Admission of DAE wards from Class Pre-Prep to class X	01-02-2018 to 08-02-2018	
06	कक्षा- XI व XII में प्रवेश बोर्ड परीक्षा परिणामों के बाद किया जायेगा। Admission to class XI and XII will be taken up after the board results	---	

नोट Note: (i) केंद्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं. के पूर्व अनुमोदन के बिना इस कार्यक्रम में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं है, और (ii) आवेदन/प्रवेश प्रपत्र जमा, चयन सूची और अंतिम प्रवेश का प्रदर्शन/घोषणा आवासीय क्षेत्र के अनुसार संबंधित प.ऊ.कें. विद्यालय में किया जायेगा। ऐसे केंद्र जहां एक से अधिक विद्यालय हैं, वहां आवासीय क्षेत्र से इतर प्रवेश देने के लिए परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(i) No change in schedule is allowed without prior approval of the Central office, AEES, and (ii) Submission of Application/Admission Forms, display of selection lists, final admission etc. shall be done at the respective AEC School as per the residential jurisdiction. The decision of AEES is final in granting the admission at the centers having multiple schools irrespective of residential jurisdiction.

5. शुल्क Fee

- ऑनलाइन शुल्क भुगतान के समय अन्य शुल्कों के साथ प्रवेश शुल्क राशि रु.100/- भुगतान (ऑनलाइन एडमिशन अर्थात मुंबई स्थित विद्यालयों के लिए) करनी होगी।
Admission Fee of Rs. 100/- has to be paid (For Online admissions i.e. for Mumbai) at the time of online fee payment along with other fees.
- प्रवेश (एडमिशन) के समय प्रवेश शुल्क राशि रु.100/- भुगतान (ऑफलाइन एडमिशन अर्थात मुंबई से बाहर स्थित विद्यालयों के लिए) करनी होगी।
Admission Fee of Rs. 100/- has to be paid at the time of admission. (For offline admission i.e. other than Mumbai)
- प.ऊ.वि. श्रेणियों के सभी बच्चों से अन्य शुल्क अवधि (टर्म)/वार्षिक (अर्थात एक शैक्षणिक सत्र के छः माह/बारह माह) आधार पर प्रवेश दिये जाने के समय लिए जायेंगे। अवधि शुल्क (टर्म फी) के भुगतान के संबंध में दूसरा अवधि शुल्क उस शैक्षणिक सत्र के अक्टूबर माह में जमा किया जाना चाहिए।
Other Fees will be charged from all the wards of DAE categories on term/annual basis (i.e. six months/ twelve months of an academic session) at the time of grant of admission. In respect of payment of term fee, the second term fee should be paid in the month of October of that academic session.
- परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था में शुल्क संरचना संबंधी सामान्य जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.aees.gov.in देखें। आवेदन फॉर्म के साथ यह जानकारी इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
Please visit www.aees.gov.in for general information about fee structure in AEES. This information sheet with application form can also be viewed at this website.
- प.ऊ.वि. (डी.ए.ई. वार्ड), सी.आई.एस.एफ., आई.बी. और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 01.04.2018 से कोई शुल्क रियायत लागू नहीं होगी।
No fee concession of any kind shall be applicable to any of the wards of DAE, CISF, IB and other Central Govt. employees w.e.f. 01/04/2018.

कक्षा Class	शिक्षण शुल्क Tuition Fee	पी.यू.वी.वी.एन. शुल्क PUVVN Fee	कम्प्यूटर शुल्क Computer Fee
प्री-प्रेप से प्रेप Pre-Prep to Prep	` 900/-प्रति माह ` 900/-per month	` 300/-प्रति माह ` 300/-per month	-
I से V I to V	` 900/-प्रति माह ` 900/-per month	` 300/-प्रति माह ` 300/-per month	` 30/-प्रति माह ` 30/-per month
VI से X VI to X	` 900/-प्रति माह ` 900/-per month	` 300/-प्रति माह ` 300/-per month	` 30/-प्रति माह ` 30/-per month
XI और XII XI & XII	` 900/-प्रति माह ` 900/-per month	` 300/-प्रति माह ` 300/-per month	` 30/-प्रति माह ` 30/-per month

6. जमा किए/ अपलोड (मुंबई के लिए) किए जाने वाले दस्तावेज Documents to be submitted/Uploaded (in case of Mumbai)

प्री-प्रेप/ प्रेप/ कक्षा-I के लिए For Pre-Prep/Prep/ Class I:

- नगरपालिका/ नगर निगम द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाणपत्र या संबंधित क्षेत्र के राजस्व/ पंचायत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर के तहत पृष्ठांकित पंचायत कार्यालय/ग्राम मुखिया/ ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र। **जन्म प्रमाणपत्र की बजाए शपथपत्र के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**
Original Birth Certificate issued by the Municipality/ Municipal Corporation or the birth certificate issued by Panchayat Office/Village Mukhia/Sarpanch of a Gram Panchayat endorsed under the seal and signature of the Revenue/ Panchayat Officer of the concerned area. **Admission will not be granted on the basis of an affidavit in lieu of a birth certificate.**
- आवेदक के आधार कार्ड यदि उपलब्ध हो, की फोटोप्रति (माता-पिता के पहचान पत्र की सत्यापित प्रति के साथ) जमा की जाए।
Photocopy/Scanned copy of Aadhaar Card of the candidate is to be submitted, if available (along with an attested copy of ID of parents).
- आबंटन आदेश/ पता प्रमाण (डी.ए.ई. कालोनी से बाहर निवास कर रहे आवेदकों के मामले में) की फोटोकॉपी/ स्कैनड कॉपी
Photocopy/Scanned copy of the allotment order/address proof (in case the applicant is staying outside the DAE colony)

कक्षा II से कक्षा X के लिए For Class II to X:

- i. पिछली उत्तीर्ण कक्षा की प्रगति रिपोर्ट के साथ पिछले विद्यालय से जारी स्थानांतरण प्रमाणपत्र आवश्यक है।
Transfer certificate along with the progress report card of last studied class from the leaving school are required.
- ii. आवेदक के आधार कार्ड यदि उपलब्ध हो, की फोटोकॉपी (माता-पिता के पहचान पत्र की सत्यापित प्रति के साथ) जमा की जाए।
Photocopy/Scanned copy of Aadhaar Card of the candidate is to be submitted, if available (along with an attested copy of ID of parents).
- iii. आबंटन आदेश/ पता प्रमाण (डी.ए.ई. कालोनी से बाहर निवास कर रहे आवेदकों के मामले में) की फोटोकॉपी/ स्कैन्ड कॉपी
Photocopy/Scanned copy of the allotment order/address proof (in case the applicant is staying outside the DAE colony)

कक्षा XI और कक्षा XII के लिए For Class XI-XII:

- i. प्रवेश की नीति और प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज संबंधित बोर्ड की आवश्यकताओं पर निर्भर होंगे।
The policy for admission and the documents required for admissions will depend on the requirements of the respective Board.
- ii. आवेदक के आधार कार्ड यदि उपलब्ध हो, की फोटोकॉपी (माता-पिता के पहचान पत्र की सत्यापित प्रति के साथ) जमा की जाए।
Photocopy/Scanned copy of Aadhaar Card of the candidate is to be submitted, if available (along with an attested copy of ID of parents).
- iii. आबंटन आदेश/ पता प्रमाण (डी.ए.ई. कालोनी से बाहर निवास कर रहे आवेदकों के मामले में) की फोटोकॉपी/ स्कैन्ड कॉपी
Photocopy/Scanned copy of the allotment order/address proof (in case the applicant is staying outside the DAE colony)

नोट Note:

1. प.ऊ.वि. बच्चों (डी.ए.ई. वार्ड) को प्रवेशकेवल आवासीय क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) के अनुसार दिया जायेगा। हालांकि, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था और इसके प्रतिनिधियों को विद्यालय में पाठ्यक्रम के दौरान प.ऊ.वि. छात्र/छात्रों का किसी भी समय किसी केंद्र/ आवासीय कालोनी के प.ऊ.कें. विद्यालयों में स्थानांतरण/अदला-बदली करने का अधिकार होगा।

Admission to the DAE wards will be granted as per the residential jurisdiction only. However, AEES and its representative reserves the right to shift/ inter-change any DAE student/students among the AEC schools of that particular centre/residential colony at any time during the course of his/her schooling.

2. ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल (2018-19) या ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदकों द्वारा दी गई कोई जानकारी यदि किसी भी चरण में गलत पाई गई तो प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

Moreover, the Information submitted by the applicants while applying through Online Admission portal (2018-19) or through the offline application form is found to be wrong at any stage, the same will lead to the cancellation of the admission.

3. यदि बच्चे का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो आधार के लिए आवेदन करने का प्रमाण जमा करना होगा।


If Aadhaar card of the child is not available, proof of having applied for the same should be submitted.

4. ऑनलाइन एडमिशन माध्यम से एडमिशन के लिए आवेदन करते समय पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों को मूल रूप में शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के 10 दिनों के अंदर आबंटित विद्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

In case of online admission the documents uploaded at the time applying for admission have to be produced in original at the allotted school office within 10 days from the beginning of the academic session.

यदि प्रवेश परिपत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूप में कोई विसंगति पाई जाती है तो प्रवेश परिपत्र के अंग्रेजी रूप को अंतिम माना जायेगा।

In case any discrepancy is found between Hindi version and English version of the admission circular, English version will be considered as final.



स्वप्नेश कुमार मल्होत्रा S.K. Malhotra

सचिव, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था Secretary, AEES

सभी प.ऊ.कें. विद्यालय/ कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखों के लिए

Heads of AEC Schools/ Junior Colleges